



## कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन – 834001

e-mail :- support@ranchimunicipal.com

**(2nd Call)**

पत्रांक :- 292/अभि0

दिनांक:-21.11.2022

### निविदा आमंत्रण सूचना

1. विज्ञापनदाता का नाम :- कार्यपालक अभियंता, राँची नगर निगम, राँची ।
2. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- 24/12/2022 को 01:00 बजे अपराह्न तक ।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 24/12/2022 को 03:30 बजे अपराह्न के बाद ।
4. परिमाण विपत्र Download की तिथि :- 08/12/2022 से 23/12/2022 तक ।
5. निविदा प्राप्त का स्थान :- सीटी कन्ट्रोल कक्ष, कचहरी, राँची ।

क्रमांक	वार्ड नं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यादश की तिथि से)
01	43	गौरी शंकर नगर में शिव के घर से डॉ० बी० बी० राय के घर होते हुये बड़ा पुल तक आर० सी० नाली का निर्माण कार्य।	610250	12300	5000	60 दिन
02	43	गौरी शंकर नगर में जयराम शर्मा के घर से के० एन० मिश्रा, नागेश्वर प्रसाद सिंह के घर से चौद तिवारी एवं रमण के घर से बी० बी० राय के घर तक बिटुमिनस पथ का निर्माण कार्य।	577000	11600	5000	60 दिन

1. निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (क) a. परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल में)
- b. अग्रधन की राशि (मूल में)
- c. नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधन की प्रति।
- d. वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)
- e. G.S.T निबंधन एवं अद्यतन रिटर्न की प्रति।
- f. पैन (छाया प्रति)
- g. Download किया गया एन० आई० टी० के साथ परिमाण विपत्र।
- h. अद्यतन ITR की प्रति।

(ख) उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रधन की राशि एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।

2. बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
3. निविदा के साथ अग्रधन की राशि तीन या पांच वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस का)/ सावधि जमा, जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित अद्यतन (प्लेज) हो, देय होगा।
4. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), राँची नगर निगम में डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम से जमा करना होगा एवं परिमाण विपत्र राँची नगर निगम के वेवसाईट



एक कदम स्वच्छता की ओर



- www.ranchimunicipal.com** से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करेंगे।
5. इस निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरांत किसी कार्य दिवस में नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
  6. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।
  7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से संबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।
  8. पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार, राँची के संकल्प सं० 2146 (S), दिनांक 09.09.2020 के आलोक में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत **below** तक की राशि का 20 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत से अधिक **below** की राशि का 30 प्रतिशत अतिरिक्त जमानत का प्रावधान लागू होगा।
  9. निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र-संयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
  10. आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में Sub-letting मान्य नहीं होगा।
  11. किये गये कार्य का रख रखाव 3 वर्षों तक संवेदक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सुरक्षित राशि 3 वर्षों की अवधि पूरा होने के पश्चात् ही कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विमुक्त की जायेगी तथा EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 06 माह में विमुक्त की जायेगी।
  12. कार्य स्थल पर कार्य की विवरणी का सूचना पट्ट संबंधित सहायक अभियंता से प्रारूप अनुमोदित कराकर लगाना अनिवार्य होगा।
  13. कार्य आवंटित किये जानें के पश्चात संवेदक अभियंत्रण शाखा में शेष अग्रधन की राशि तीन या पांच वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक जो **नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज)** हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। एकरारनामा ससमय नहीं किये जाने पर आवंटित कार्य रद्द कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के संबंध में कोई दावा मान्य होगा।
  14. संवेदक कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यालय को सूचित करेंगे। सूचना नहीं प्राप्त होने पर ऐसा समझा जायेगा की संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है एवं समय वृद्धि किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।
  15. विगत तीन वर्षों का Civil work का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
  16. सभी bidders को निविदा के समय अपना Mobile No. एवं Whatsapp No./Email ID स्पष्ट अंकित करना होगा, ताकि आवश्यक हो, तो उनसे सम्पर्क किया जा सके।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित निविदायें अमान्य कर दी जायेगी।

ह०/—  
कार्यपालक अभियंता  
राँची नगर निगम, राँची।

